मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 4–5 / 2016 / 50–2 /   भोपाल, दिनांक 09/12/2016

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश.
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (म.प्र.)
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा (म.प्र.)
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा (म.प्र.)
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व–मध्यप्रदेश.
7. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (म.प्र.)
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी मध्यप्रदेश.

विषयः–राज्य के आंगनवाड़ी / उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को रेडी टू ईट नाश्ता प्रदाय के संबंध में निर्देश ।

संदर्भः–
1. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र. / एफ 4–5 / 14 / 50–2, दिनांक 24.2.2014 ।
2. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र. / 26 / 2126 / 14 / 50–2, दिनांक 03.01.2015 ।
3. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र.1854 / 2132 / 16 / 50–2, दिनांक 05.08.2016 ।
4. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र.2504 / 2773 / 16 / 50–2, दिनांक 06.10.2016 ।
5. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र. / 4640 / 16 / 50–2, दिनांक 02.11.2016 ।

....

राज्यशासन के संदर्भित आदेशों के तहत् प्रदेश के समस्त ग्रामीण / शहरी क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्रों / उप आंगनवाडी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को स्व सहायता समूह के माध्यम से सुबह का ताजा पका नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निर्धारित मेनू अनुसार दिए जाने का प्रावधान रखा गया है । आंगनवाडी केन्द्रों में ताजा पका नाश्ता दिए जाने में आ रही विभिन्न कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यशासन द्वारा निर्णय

लिया गया है कि समस्त ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को स्व सहायता समूह के माध्यम से सुबह का ताजा पका नाश्ते के स्थान पर रेडी टू ईट नाश्ता प्रदाय किया जावें । दिनांक 15 दिसम्बर 2016 से आगामी आदेश तक निम्न निर्देशों के अनुरूप रेडी टू ईट नाश्ता प्रदाय की व्यवस्था प्रारम्भ की जावें ।

1. स्व–सहायता समूह द्वारा दिए जाने वाले रेडी टू ईट नाश्ते एवं भोजन की दर एवं प्रोटीन/कैलोरी की मात्रा पूर्ववत् निम्नानुसार होगी :–

क्रं.	लक्ष्य समूह	भोजन	समय	दर	प्रोटीन/कैलोरी	मेनू
1.	3 से 6 वर्ष तक के आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे	नाश्ता	प्रातः 9:30 से 10:30 के मध्य	नाश्ता/भोजन सहित राशि रूपए 6/– प्रति बच्चा प्रति दिवस	1. प्रोटीन–12 से 15 ग्राम 2. कैलोरी– 500	परिशिष्ट – 01 में दिए सांकेतिक मेनू अनुसार
		भोजन	अपरान्ह 12.30 से 1:30 के मध्य			

2. रेडी–टू–ईट नाश्ते के रूप में पौष्टिक सूजी बेसन लड्डू/रागी लड्डू/ नमकीन मठरी अलग–अलग दिवस में दी जाना है। जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं हितग्राहियों की रूचीनुसार रेडी टू ईट नाश्ते में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। नाश्ता/भोजन में न्यूनतम 12 से 15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी अनिवार्यतः होना चाहिए। रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन का सांकेतिक मेनू परिशिष्ट–1 पर एवं रेडी–टू–ईट नाश्ते के अवयव तथा अनुमानित मात्रा का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

3. वर्तमान में नाश्ता एवं भोजन प्रदाय करने वाले स्व सहायता समूह के माध्यम से ही रेडी टू ईट नाश्ता निरन्तर प्रदाय किया जाएगा। यदि किसी कारण से वर्तमान में भोजन प्रदायकर्ता स्व सहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट नाश्ता दिए जाने में असमर्थता/कठिनाई बताई जाती है तब जिला कलेक्टर की अनुमति से विशेष परिस्थिति में स्व सहायता समूह में परिवर्तन किया जा सकेगा।

4. दोपहर का भोजन का मेनू प्रत्येक आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्र पर मध्यान्ह भोजन के मेनू एवं रेसिपी अनुसार ही पूर्ववत् रहेगा अर्थात् इसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी दी जाएगी। आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदत्त किये जाने वाला पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन रूचिकर व स्वादिष्ट होना चाहिए। रेडी टू ईट नाश्ता एवं दोपहर के भोजन की स्वच्छता एवं सुपाच्यता का विशेष ध्यान रखा जाए।

5. स्व–सहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट नाश्ता साप्ताहिक रूप से निर्धारित मात्रा में तैयार कर आंगनवाड़ी केन्द्र स्थल पर प्रदाय किया जायेगा । स्व सहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन प्रदाय करते समय वर्तमान व्यवस्था अनुसार प्राप्ति की पावती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त करना होगी, पावती पर कार्यकर्ता समय,एवं नाश्ता/भोजन की मात्रा अंकित करेंगी।

6. रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन पकाने के लिए निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाए:–

- यथा संभव डबल फोर्टीफाइड (आयोडीन+आयरन युक्त) नमक का ही उपयोग किया जावें। यह उपलब्ध न होने पर आयोडीन नमक का उपयोग अनिवार्य होगा
- एगमार्क वाले सीलबंद डिब्बों में मिलने वाले खाद्य तेल यथासंभव मूंगफली तेल का इस्तेमाल किया जावें ।
- एगमार्क वाले सीलबंद पैकेट वाले मसालों का ही इस्तेमाल किया जावे

7. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गत सप्ताह के औसत दैनिक उपस्थित हितग्राहियों की संख्या के आधार पर एक सप्ताह में लगने वाले विभिन्न रेडी टू ईट नाश्ते की गणना कर आवश्यक मात्रा से प्रत्येक शनिवार को स्व सहायता समूह को अवगत कराया जावेगा, तदानुसार स्व–सहायता समूह द्वारा साप्ताहिक रूप से आवश्यक मात्रा में रेडी टू ईट नाश्ता तैयार कर प्रत्येक सोमवार को आंगनवाड़ी केन्द्र स्थल पर उपलब्ध कराया जावेगा।

8. आंगनवाड़ी केन्द्रो पर स्व–सहायता समूह द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रदाय किये जाने वाले रेडी टू ईट नाश्ते का पंचनामा तैयार किया जावेगा। पंचनामा पर आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता,स्व–सहायता समूह के प्रतिनिधि,रसोईया,पालक (माता / पिता) तथा स्कूल परिसर में आंगनवाडी होने पर यथासंभव प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के वर्तमान व्यवस्थानुसार हस्ताक्षर कराये जावें ।

9. आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदाय की जाने वाली रेडी टू ईट नाश्ते एवं भोजन की दर का निर्धारण "कॉस्टप्लस् फार्मूले" के आधार पर किया जावे। निर्धारित की जाने वाली दर में रेडी टू ईट नाश्ते एव भोजन प्रदाय व्यवस्था पर होने वाले समस्त व्यय (निर्माण+कच्ची सामग्री+गेहूँ / चावल+ परिवहन+पारिश्रमिक+प्रबन्धकीय व्यय+ लाभांश+रसोईया+ ईंधन+ एमएमई इत्यादि) शामिल रहेगी । उपरोक्त सभी मदों को शामिल करने के पश्चात् पूरक पोषण आहार हेतु निर्धारित की जाने वाली दर की सीमा, प्रति बच्चा प्रति दिवस राशि रू.6/– से अधिक नही होनी चाहिए ।

10. पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में राज्यशासन द्वारा समय–समय पर संदर्भित पत्रों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य शर्ते यथावत रहेगी ।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन) की निरन्तरता रखी जावें किसी भी स्थिति मे पोषण आहार बाधित नही रहना चाहिए यह जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी ।

12. पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट नाश्ता एवं भोजन) वितरण में यदि कोई कठिनाई आती है तो जिला स्तर पर कठिनाईयों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

(डॉ०मधु खरे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक एफ 4-5/2014/50-2 भोपाल, दिनांक 9/12/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास, भोपाल

2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग

3. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय

4. अनुभाग अधिकारी-2/गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

पूरक पोषण आहार का मेनू

परिशिष्ट क्रमांक -1

03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को प्रदाय किए जाने वाले पूरक पोषण आहार (नाश्ता/भोजन) साप्ताहिक सांकेतिक मेनू				
दिन	रेडी टू ईट सुबह का नाश्ता रैसिपी	दोपहर का भोजन रैसिपी	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
सोमवार मंगलवार	नमकीन मठरी, रागी लड्डू या पौष्टिक सूजी बेसन लड्डू में से प्रति सप्ताह एक रैसिपी	रोटी-सब्जी-तूअर दाल-खीर-पूडी-मूंगबडी-आलू टमाटर सब्जी		
बुधवार		रोटी-चने की दाल-मिक्स सब्जी	12-15	500
गुरुवार		चावल पुलाव-पकौडे वाली कढी		
शुक्रवार		रोटी-मूंगदाल-हरे या सूखे टमाटर की सब्जी		
शनिवार		पराठा-सीजनेबल हरी सब्जी-मिक्स दाल		

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

रेडी टू ईट नाश्ता के अवयव तथा अनुमानित मात्रा का विवरण

परिशिष्ट क्रमांक–2

(अ) पौष्टिक सूजी / बेसन लड्डू :–
(प्रति हितग्राही–02 नग)

क्रमांक	विवरण	औसत मात्रा (ग्राम)
1	सूजी	5.2
2	बेसन	2.6
3	तिल	1.3
4	दूध	12.9
5	गुड	10.3
6	तेल	7.7

(ब) पौष्टिक रागी लड्डू :–
(प्रति हितग्राही–02 नग)

क्रमांक	विवरण	औसत मात्रा (ग्राम)
1	रागी का आटा	16.7
2	मूंगफली दाना	5.0
3	गुड	16.7
4	तेल	1.7

(स) पौष्टिक नमकीन मठरी :–
(प्रति हितग्राही–02 नग)

क्रमांक	विवरण	औसत मात्रा (ग्राम)
1	गेहूँ के आटा	25.0
2	बेसन	6.0
3	तेल	9.0
4	मसालें (हींग / नमक / हल्दी एवं अन्य मसाले)	–

रिमार्कः– 1. पौष्टिक लड्डू / नमकीन मठरी के बनने के उपरांत 02 नग की मात्रा लगभग 50 ग्राम की होना चाहिए।

2. मठरी हींग, नमक, हल्दी एवं तेल के मोयन मिलाकर तैयार की जावे। हितग्राहियों की रूची एवं स्वादानुसार अवयवों की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग